आर. वी. देव उर्फ आर. वासुदेवन नायर

बनाम

प्रमुख सचिव, केरल सरकार व अन्य

(15 मई, 2007)

(एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 33 नियम 10 एवं 11 - निर्धन व्यक्तियों की मद में वाद - निर्धारित - नियम 11 के तहत वादी को चार स्थितियों में से किसी एक में अदालत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है अर्थात् (1) जब वादी मुकदमे में विफल हो जाता है, या (2) जब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली गई है। (3) जब मुकदमा वापस ले लिया जाता है या (4) जब मुकदमा खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाता है - जब मुकदमा समाप्त हो जाता है तो आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित करना उचित होगा कि खंड (ए) और (बी) चौथी शर्त को संदर्भित करते है। प्रत्येक स्थिति विशिष्ट और अलग है - शब्द (अथवा) विशिष्ट है और प्रत्येक मामले को अन्य मामलों से स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिया जाना चाहिए।

शब्द और वाक्यांशः

आदेश 33 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में "अथवा" शब्द का अर्थ:-

अपीलार्थी वादी ने एक वाद बाबत् क्षतिपूर्ति निर्धन व्यक्ति के तौर पर राज्य सरकार के विरूद दायर किया दावा परिसीमा बाधित होने से खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय कि अपील निर्धन व्यक्ति के तौर पर दायर की गई जो उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के अपीलीय आदेश को स्पष्ट करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थी वादी द्वारा पेश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया की एक व्यक्ति को जब निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद लाने की अनुमति दी जाती है तब यदि वह वाद में असफल हो जाता है तो वह निर्धारित न्यायालय शुल्क को चुकाने के लिए दायित्वाधीन होता है। आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी वादी द्वारा वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि हस्तगत मामले में आदेश 33 के नियम 11 के खंड (ए) और (बी) को देखते हुए, नियम 11 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है, इसलिए, नियम 11 लागू नहीं होगा।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 का नियम 11 यह उपबन्ध करता है कि निर्धन वादी को न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश निम्न चार परिस्थितयों में दिया जा सकता है। (1) जब वादी मुकदमे में विफल हो जाता है; (2) जब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली गई है। (3) जब मुकदमा वापस ले लिया जाता है या (4) जब मुकदमा खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाता है। जब, इसलिए, वादी मुकदमे में विफल हो जाता है या वादी की निर्धनता को खारिज कर दिया जाता है, तो इसका कोई संबन्ध खंड (ए) और (बी) की परिस्थतियों में वाद खारिज होने से नहीं है। नियम 11 में उल्लिखित खंड (ए) और (बी) केवल तभी आकर्षित होंगे जब वाद, अन्य बातों के साथ-साथ, खंड (ए) और (बी) में निहित आकस्मिकताओं के कारण खारिज किया जाता है। खंड (ए) और (बी) का कोई प्रभाव और/अथवा प्रासंगिकता नहीं होगी, जब एक मुकदमा योग्यता गुणवागुण के आधार पर अथवा जब वादी की निर्धनता को खारिज कर दिया जाता है। (पैरा 9 और 11) (891-ए, बी, डी)

1.2 - आदेश 33 के नियम 11 के गठन के उद्देश्य से, उसमें उल्लिखित सभी शर्तों को लागू करना आवश्यक है। जैसे कि उपरोक्त चार आकस्मिकताओं में से तीन आकस्मिकताओं के अलावा वाद के समाप्त होने की स्तर पर आदेश पारित होता है तो यह अभिनिर्धारित करना एक

उचित गठन होगा कि खंड (ए) और (बी) चौथी शर्त को संदर्भित करते हैं और उन्हें पूर्व मामले में भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति अलग अलग होती है। वह शब्द "अथवा" विभेदक है और इस प्रकार दूसरे मामले से स्वतंत्र होने के लिए प्रभाव दिया जाना चाहिए। (पैरा 12) (891-ई-एफ)

राम सरन व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य, एआईआर (1959) पटना 384, अप्रयोज्य रखा गया।

1.3 - ऐसे मामले में जहां आदेश 33 नियम 11 आकर्षित होता है, न्यायालय प्रतिवादी को न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं और इसका भुगतान वादी या सह-वादी द्वारा किया जाना चाहिए।(पैरा 14) (892-ई)

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय - सिविल अपील संख्या- 2536/2007

केरला उच्च न्यायालय के दिनांक 11-07-2003 को ए.एस. संख्या 156/1994 सीएमपी 1323/2003 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से: ए. रघुनाथ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से: पी. वी. दिनेश, सिंधु टी. पी. और के. आर. शशिप्रभु।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया।

1- अनुमति दी गई।

2- आदेश 33 नियम 10 और 11 सिविल प्रकिया संहिता में केरला राज्य में हुए सशोंधन के प्रावधानों की व्याख्या इस अपील में विचाराधीन है जो सी-एम-पी- 1323/2003 ए.एस. सं- 156/1994 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 11-7-20003 से उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ता ने क्षतिपूर्ति के लिए केरल राज्य के खिलाफ इस आधार पर एक मुकदमा दायर किया कि उसने राजनीतिक प्रतिशोध की हिंसा का शिकार होने के कारण एक आंख खो दी थी। चेहरे पर तेजाब फेंकने के परिणामस्वरूप उसके चेहरे पर चोट लगी। उक्त मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के संदर्भ में दायर किया गया था क्योंकि उसने खुद को एक गरीब व्यक्ति होने का दावा किया था। हालाँकि, जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा अपीलार्थी के चेहरे पर तेजाब फेंका था, दिनांक 18-02-1981 के निर्णय द्वारा वे लोग बरी कर दिये गये थे।

3- उसने वर्ष 1988 में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। अपीलार्थी को हुए किसी भी नुकसान के भुगतान के लिए उसके प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर राज्य ने इनकार किया। इस मुकदमे को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश चेरथला ने दिनांक 30-7-1991 को अपने निर्णय एवं

डिक्री से खारिज कर दिया और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया कीः-

(i) वाद अवधि बाधित था।

(ii) अपीलार्थी ने यह स्थापित नहीं किया था कि उसे सुरक्षा देने के लिए पुलिस कर्तव्यबद्ध थी।

4- वर्ष 1994 में इसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। एक गरीब व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा अपील दायर करने की भी अनुमति दी गई थी। उक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। अन्य बातो के साथ साथ कहा गया था कि मुकदमे को अवधि बाधित माना जाना उचित था। इसके अलावा निर्देशित किया गया था:-

> "16- इसलिए हम पाते हैं कि उपरोक्त अपील किसी भी गुण से रहित है। इसलिए अपील खारिज की जाती है और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है। "

5- उक्त मुकदमे में अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13-9-2002 में निहित निर्देश के स्पष्टीकरण के लिए एक विविध आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से

इनकार इस आधार पर किया की कुछ निर्णय पर पक्षकार द्वारा भरोसा जताया जो यह अभिव्यक्त करते है कि:-

> “18- विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है की एक व्यक्ति जिसे निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति है वह उतना न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जितना उसके द्वारा न्यायालय शुल्क चुकाया जाता यदि उसे निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद लाने की अनुमति नहीं दी जाती, यदि वह वाद में विचारण के पश्चात अथवा बिना विचारण असफल हो जावें। अंतिम निर्णय अथवा वाद का परिणाम चाहे किसी भी तरीके और प्रकार से आया हो जैसा की सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश 33 के नियम 11 के तहत परिकल्पित है।"
>
> 19- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सी. पी. सी. के आदेश 33 की योजना के मध्य नजर वाद में असफलता की समानता वाद के खारिज होने से नही कि जा सकती जब तक की वाद की खारिजी पृथक से अन्तर्गत आदेश 11 के खण्ड ए व बी में हो। उन्होंने तर्क दिया कि असफलता सम्पूर्ण दावे की होनी चाहिए और वाद गुण रहित, किसी

तुकबन्दी या कारण से रहित होना चाहिए। उन्होने तर्क दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता-अपीलार्थी सबूत की कमी के कारण मुकदमे में विफल रहा और तब साक्ष्य की अपर्याप्तता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 11 के विचार के अनुसार विफलता के रूप में नही लिया जा सकता। आगे तर्क दिया कि अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इस न्यायालय ने केवल अपील को खारिज कर दिया और यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि वादी मुकदमे में विफल रहा है। इसलिए उनके अनुसार के आदेश 33 नियम 11 के प्रावधान इस मामले में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते है।"

यह भी अभिनिर्धारित किया कि:-

"23- यह प्रश्न कि क्या वादी एक निर्धन के रूप में मुकदमा करता है तो वह किए गए दावे के हिस्से के संबंध में सफल हो जाता है तो वह अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आई. एल. आर.(1891) 14 मद्रास 163 (चंद्ररेका बनाम भारत गणराज्य) में विचार किया गया और निपटाया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वादी ने विभाजन के मुकदमे में 100/- रुपये शुल्क की एक डिक्री प्राप्त की थी, आधा हिस्सा होने के नाते दावा की गई संपत्ति के संबंध में अदालत शुल्क का 100/- रुपये की राशि के संबन्ध में उत्तरदायी है और मुकदमा लड़ने वाला पहला प्रतिवादी खंड 411 के तहत शेष राशि के लिए अदालत शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।"

यह राय दी गई थी:-

"31- अतः याचिकाकर्ता जो वाद में वादी है और अपील में अपीलार्थी अदालत शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से असफल होने पर बच नहीं सकता है जितनी अदालत शुल्क उसके वाद और अपील मैमो के लिए भुगतान योग्य है क्योंकि वह मुकदमे में विफल रहा और केवल यह तर्क देते हुए वह बच नहीं सकता की वह अभी भी एक गरीब व्यक्ति और बिना किसी साधन के बना हुआ है।

32- सवाल यह है कि क्या निर्धन वादी मुकदमे में उसकी विफलता पर अदालती शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और क्या राज्य सरकार उसके द्वारा भुगतान योग्य न्यायालय शुल्क विधिक प्रकिया अपनाकर वसूल कर

सकती है। दोनों अलग और विशिष्ट मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमें इस मुद्दे पर घोषणा करने के लिए नहीं कहा गया है कि क्या राज्य वाद पर देय न्यायालय शुल्क की वसूली करने में कानूनन सक्षम होगा।

33- यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने यहाँ दायर अपील में अर्तगत खंड 151 व 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में सुधार चाहा है। वास्तव में यह इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन है जो कानून के तहत अनुज्ञेय नहीं है।"

6- अपीलार्थी हमारे सामने है।

7- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए- रघुनाथ,ने अपील के समर्थन में तर्क दिया है कि आदेश 33 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का तब तक कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जब तक कि इसके लिए निर्धारित पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। यह आग्रह किया गया था कि एक व्यक्ति उसके वाद और अपील के खारिज होने के बावजूद एक निर्धन व्यक्ति बना रह सकता है और यदि उससे अदालती शुल्क की राशि वसूलने का निर्देश जारी किया जाता है तो अधिनियम की योजना विफल हो जायेगी।

8- सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 निर्धन व्यक्तिया द्वारा मुकदमे से संबंधित है जबकि आदेश 56 निर्धन व्यक्तियों की अपीलों से संबंधित है। जब किसी गरीब व्यक्ति द्वारा आवेदन दायर किया जाता है, तो इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या वह उक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर है, इसके लिए उक्त प्रावधान के तहत कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसे एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति है, वह अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो उसके द्वारा भुगतान किया जाता यदि उसे उस क्षमता में मुकदमा करने की अनुमति नहीं दी जाती, यदि वह वाद में विचारण अथवा बिना विचारण विफल हो जाता है। अदालत शुल्क का भुगतान, जैसा कि योजना से पता चलता है, केवल स्थगित होती है। यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 10 में न्यायालय शुल्क की राशि की गणना के संबंध में वाद के विषय पर प्रथम भार के रूप में परिणामों का प्रावधान है।

9- अदालती शुल्क की गणना के लिए एक ओर नियम 10 और दूसरी ओर नियम 11 को आकर्षित करने वाली स्थिति के बीच कोई अंतर नहीं है। अदालती शुल्क की गणना दावा की गई राशि पर की जानी है न कि डिक्रित राशि पर। उक्त उद्देश्य के लिए, जो प्रासंगिक है वह इस संबंध में न्यायालय द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय है। नियम 11 निर्धन वादी

को न्यायालय शुल्क भुगतान करने का निर्देश देता है न्यायालय शुल्क चार अलग-अलग स्थितियों में लगाया जा सकता है।

(i) जब वादी मुकदमे में विफल हो जाता है।

(ii) जहाँ वादी निर्धन नहीं रहता है।

(iii) जहाँ मुकदमा वापस ले लिया जाता है।

(iv) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में मुकदमा खारिज किया जाता है।

10- जब इसलिए, वादी मुकदमे में विफल हो जाता है या वादी की निर्धनता को खारिज कर दिया जाता है, इसका खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में वाद को खारिज करने से कोई लेना-देना नहीं है।

11- अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ए. रघुनाथ का तर्क गलत धारणा है कि खंड (ए) और (बी) आदेश 33 नियम 11 द्वारा अनुध्यात सभी चार स्थितियों को आकर्षित करेंगे। खंड (क) और (ख) केवल तभी आकर्षित होंगे जब वाद अन्य बातों के साथ-साथ खंड (क) और (ख) में निहित आकस्मिकताओं के कारण खारिज किया जाता है। खंड (ए) और (बी) का कोई प्रभाव और/अथवा प्रासंगिकता नहीं होगी, जब कोई मुकदमा गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जाता है या जब वादी की निर्धनता को खारिज कर दिया जाता है।

12- उपरोक्त प्रावधानों के गठन के उद्देश्य से, उसमें उल्लिखित सभी शर्तों को लागू करना आवश्यक है। जैसे कि उपरोक्त चार आकस्मिकताओं में से तीन आकस्मिकताओं के अलावा वाद के समाप्त होने के स्तर पर आदेश पारित होता है तो यह अभिनिर्धारित करना एक उचित गठन होगा कि खंड (ए) और (बी) चौथी शर्त को संदर्भित करते हैं। हम यह देखने में विफल हैं कि पहले वाले मामले में भी इसे कैसे आकर्षित किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, अलग अलग है। "अथवा" शब्द सन्धि तोडने वाला है और इसलिए इसे अन्य मामलों से स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिया जाना चाहिए।

13- विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय राम सरन और अन्य में पटना उच्च न्यायालय बनाम बिहार राज्य और अन्य AIR(1959) पटना 384, पर भरोसा जाहिर किया है। हमारी राय में अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसमें न्यायालय एक ऐसी स्थिति से संबंधित था जहां यह सवाल उठाया गया था कि यदि वाद को आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तो क्या होगा। यह निर्धारित किया गया था:-

> "8- आदेश 33 के नियम 10 और 11 में यह उपबन्धित है, इसलिए यदि वादी का वाद खारिज कर दिया जाता है तो अदालत के पास कोई विवेक या विकल्प नहीं होता है लेकिन वादी या किसी अतिरिक्त सह-वादी को अदालत का

शुल्क भुगतान करने का आदेश देने में न्यायालय सक्षम है। ऐसे मामले में, न्यायालय अदालत शुल्क का निर्देश नहीं दे सकती है की वह प्रतिवादियों द्वारा चुकायी जावें। इसका भुगतान केवल वादी या सहवादी जैसी भी स्थिति हो किया जाना चाहिए। वादी वाद में सफल होता है तो अदालत को निर्देश देने का विवेकाधिकार दिया गया है कि किस पक्ष से न्यायालय शुल्क देय होगा। ऐसे मामले में, अदालत को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है।

न्यायालय वादी द्वारा पूरे न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, या प्रतिवादी, या दोनों को। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है, और निर्देश दे सकती है न्यायालय शुल्क तदनुसार देय होगा। लेकिन वर्तमान जैसे मामले में, जहाँ वाद का आंशिक रूप से स्वीकार और आशिंक रूप से अस्वीकार हुआ है, इस परिस्थिति के संबन्ध में कोई प्रावधान सहिता में नहीं है। स्पष्ट तौर पर इस मामले में न तो नियम 10 न ही नियम 11 के उपबन्ध लागू होगे।“

14- इसलिए विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह स्वयं एक प्राधिकारिता है। ऐसे मामले में जहां आदेश 33 का नियम 11 आकर्षित होने पर, न्यायालय प्रतिवादी को न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसका भुगतान वादी या सह-वादी द्वारा किया जाना चाहिए।

15- इसलिए, हमारी राय में आलोच्य निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी **राजेन्द्र सिंह** (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।